राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

पत्रावली सं. 13/15/दावा

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र मालचन्द उम्र 60 साल
2. ओम प्रकाश पुत्र धन्नालाल उम्र 63 साल
   समस्त जाति पुरोहित निवासीगण अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण

ब ना म

1. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादी

वाद बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री भंवरसिंह शेखावत वकील वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक— 03.07.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण की भूमि खसरा नं. 191, 232, 233, 264, 265, 915 किता 6 कुल रकबा 6.45 है0 अवस्थित है जो पैतृक संपदा है जिस भूमि पर वादीगण बराबर बराबर हक हिस्सेनुसार अर्थात् 1/2 हक हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार है। वादीगण का सजरा खानदान इस प्रकार है:—

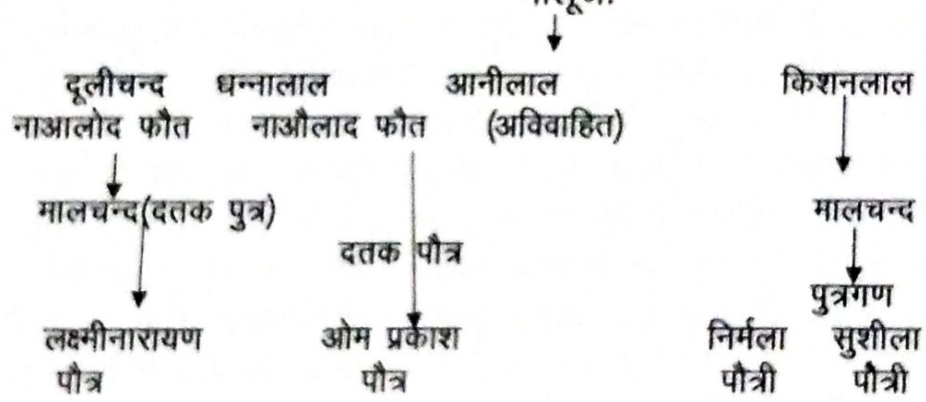

2. सजरा खानदान अनुसार वादीगण सं. 1 लक्ष्मीनारायण के पिता मालचन्द बाल्यावस्था में ही दूलीचन्द के गोद पुत्र चले गये थे तथा इसी प्रकार वादी सं. 2 ओमप्रकाश अपने दादा धन्नालाल के वैध वारिस नहीं होने से बाल्यावस्था में गोद चला गया था। इस प्रकार उपरोक्त सजरा खानदान अनुसार वादीगण ही उपरोक्त वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान भूमि में बराबर बराबर हक हिस्से के काश्तकार है। जिनके दादा का नाम गलत जमाबंदी में इन्द्राज होने की वजह से वादीगण के नाम से ना.करण नहीं खुला है तथा वादीगण दादा का नाम भी ना.करण सं. 67 भी मालचन्द पुत्र दुलीचन्द व ओमप्रकाश पुत्र धन्नालाल का इन्द्राज सही है किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीगण के दादा का नाम गलत मालचन्द पुत्र धन्नालाल, ओमप्रकाश पुत्र दूलीचन्द जाति पुरोहित गलत जमाबंदी में इन्द्राज होने

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

की वजह से वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजिम हुआ है। उपरोक्त वाद पत्र में वर्णित में वादीगण के दादा का नाम वर्तमान खातेदारी के अनुसार मालचन्द पुत्र धन्नालाल, ओमप्रकाश पुत्र दूलीचन्द जाति पुरोहित वर्णित है जो गलत वादीगण सं. 1 व 2 के दादा का नाम विपरीत अंकन हो गया है जबकि वादी सं. 1 के दादा सही नाम मालचन्द पुत्र दूलीचन्द होना चाहिए था तथा वादी सं. 2 के दादा का सही नाम ओमपकाश पुत्र धन्नालाल सही अंकन होना चाहिए था किन्तु वादीगण दोनों के दादा का नाम विपरीत अंकन कर दिया गया है जिसकी दुरूस्ती प्रार्थनीय है। वादी सं. 1 के पिता मालचन्द का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए लक्ष्मीनारायण की ओर से वाद पत्र पेश करना लाजिम हुआ है तथा जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र से भी साबित है कि मालचन्द पुत्र दूलीचन्द का ही है व लोक दस्तावेजात में परिवार राशन कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में खाता, व आधार कार्ड नं. 446913199601 व मृत्यु प्रमाण पत्र, इसी प्रकार वादी सं. 2 के प्रमाण पत्र वाद पत्र के संलग्न है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा वाद की मद सं. 1 में वर्णित खसरा नम्बरान भूमि का ना.करण सं. 67 में वारिसान के कॉलम में मालचन्द पुत्र दूलीचन्द तथा ओमप्रकाश पुत्र धन्नालाल अंकित है जिस ना.करण द्वारा भी साबित है किन्तु राजस्व लिपिक की भूलवश जमाबंदी में वादीगण के दादा का नाम गलत मालचन्द पुत्र धन्नालाल, ओमप्रकाश पुत्र दूलीचन्द अंकन कर दिया गया है जो दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है। वाद पत्र में अंकित भूमियों में दर्ज वादीगण के दादा का गलत नाम की जानकारी जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर वादीगण को जानकारी हुई इसलिए तब से वाद कारण पैदा हुआ है। विवादित भूमि ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री इस आशय की जारी की जावें कि भूमि खसरा नं. 191, 232, 233, 264, 265, 915 किता 6 कुल रकबा 6.45 है0 भूमि की जमाबंदी में वादी सं. 1 के दादा का सही नाम दूलीचन्द अर्थात् मालचन्द पुत्र दूलीचन्द व वादी सं. 2 के सही दादा का नमा धन्नालाल अर्थात् ओमप्रकाश पुत्र धन्नालाल अंकन का राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती किया जाकर इसी आशय की जमाबंदी रिकार्ड में दुरूस्ती की उद्घोषणा फरमाई जावें। वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल, ना.करण सं. 67, जमाबंदी, प्रमाण पत्र द्वारा सरपंच, अलोदा, मृत्यु प्रमाण पत्र मालचन्द, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड ओमप्रकाश, परिवार राशन कार्ड ओमप्रकाश, परिवार राशन कार्ड लक्ष्मीनारायण, आधार कार्ड लक्ष्मीनारायण, मृत्यु प्रमाण पत्र दुर्गादेवी, मृत्यु प्रमाण पत्र मालचन्द, एसबीबीजे बैंक की पासबुक लक्ष्मीनारायण आदि पेश किये गये।

3. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार, दांतारामगढ से रिपोर्ट ली गई। उप तहसीलदार, पलसाना ने पत्रांक भूअ/15/395 दिनांक 04.6.2015 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में मात्र धन्नालाल दूलीचन्द पि. भोलूराम का ही नाम दर्ज था। ग्राम अलोदा के ना.करण सं. 118 दिनांक 14.6.1964 में धन्ना दुलीचन्द पि. भोलूराम की विरासत मालचन्द पुत्र धन्नालाल हि. 1/2 ओमप्रकाश पुत्र दूलीचन्द हि. 1/2 के नाम हुई है जबकि मौतबिरान के बताये अनुसार धन्नालाल ने ओम प्रकाश पुत्र मालचन्द को गोद लिया था एवं दुलीचन्द ने मालचन्द पुत्र किशनलाल को गोद लिया था। धन्नालाल एवं दुलीचन्द ने गोद लिया

ण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

जिसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं बताया गया है। ग्राम अलोदा के ख.नं. 191, 232, 233, 264, 265, 915 किता 6 कुल रकबा 6.45 है0 में मालचन्द पुत्र धन्नालाल ओम पकाश पुत्र दुलीचन्द की बजाय ओमप्रकाश दतक पुत्र धन्नालाल हि. 1/2 मालचन्द द0पुत्र दुलीचन्द हि. 1/2 जाति पुरोहित सा.देह दर्ज किया जाने की अभिशंसा की गई है।

4. हमने वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित अनुसार दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया गया।
5. हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं उप तहसीलदार, पलसाना एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गयां सजरा खानदान अनुसार भोलू के 4 लड़के बताये गये है जबकि ना.करण सं. 67 में दुलीचन्द, धन्ना लाल पि. भोलाराम पुरोहित सा.देह की विरासत का ना.करण मालचन्द पुत्र दुलीचन्द 1/2 ओमप्रकाश पुत्र धन्नालाल 1/2 पुरोहित सा.देह दर्ज हुआ है एवं अन्य ना.करण सं. 118 के द्वारा धन्ना दुलीचन्द पि. भोलूराम कोम पुरोहित सा.देह की विरासत मालचन्द पुत्र धन्नाराम पुरोहित सा0 1/2 ओमप्रकाश पुत्र दुलीचन्द 1/2 पुरोहित दर्ज हुआ है। उक्त ना.करणों के अनुसार अगली जमाबंदी में जो नोट लगा है उसकी जमाबंदी पेश नहीं की गई तथा वर्तमान जमाबंदी संवत् 2067–70 ग्राम अलोदा के अनुसार विवादित भूमियों की खातेदारी मालचन्द पुत्र धन्नालाल ओमप्रकाश पुत्र दुलीचन्द जाति पुरोहित सा.देह है। इस प्रकार कौनसी जमाबंदी के आधार पर नाम दुरूस्ती करवाना चाहते है, कोई दस्तावेज वाद पत्र के साथ पेश नहीं किया गया है न ही उप तहसीलदार, पलसाना द्वारा जमाबंदी की नकल पेश की है। उप तहसीलदार, पलसाना ने दुरूस्ती की तो अनुशंसा की है लेकिन गोदनामा का कोई दस्तावेज नहीं है तथा विवादित ना.करण सं. 67 व 118 ना.करण दतक पुत्र की हैसियत ने नहीं भरे गये है तो उप तहसीलदार ने कौनसे दस्तावेजात के आधार पर दुरूस्ती की सिफारिश की गई है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। जिन ना.करण सं. 67 व 118 को आधार मान भी लिया जाये तो भी दोनों ना.करण भिन्न भिन्न विरासत का भरा गया है ऐसी स्थिति में कौन से ना.करण को सही माना जाये तथा उसके पश्चात् कौनसी जमाबंदी में अंकन गलत है या सैटिलमेंट के दौरान गलत हुआ है, का उल्लेख नहीं किया गया है। चूंकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में गत सैटिलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को ही दुरूस्त किया जा सकता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण दुरूस्ती किये जाना न्यायोचित नहीं है। अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर वाद वादीगण बाबत दुरूस्ती खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
6. यह आदेश आज दिनांक 03.07.2015 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ